भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./78/2024 **29 अक्तूबर, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः समापन प्रक्रिया के अधीन आस्तियों के विक्रय के लिए केन्द्रीयकृत इलैक्टॉनिक सूचीकरण और नीलामी प्लेटफार्म

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016(समापन विनियम) के विनियम 33(1) में यह उपबंधित है कि "परिसमापक, कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का विक्रय सामान्यतया अनुसूची । में विनिर्दिष्ट रीति में नीलामी के माध्यम से करेगा ।" इसके अलावा, समापन विनियम की अनुसूची । के पैरा 1 के खंड (7) में यह उपबंधित है कि "परिसमापक उस तारीख से, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाए, आस्तियों का विक्रय केवल बोर्ड द्वारा पैनलित इलैक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से करेगा । वर्तमान में, विभिन्न समापन प्रक्रियाओं में परिसमापक, आस्तियों का विक्रय विभिन्न नीलामी प्लेटफार्मों द्वारा कर रहे हैं और कंपनी की आस्तियों के ब्यौरे विशिष्ट रूप से केवल नीलामी नोटिस के समय पर सार्वजनिक किए जाते हैं । इस पद्धति के परिणामस्वरूप जानकारी संबंधी विषमता उत्पन्न होती है क्योंकि संभावित क्रेताओं के पास आस्तियों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए सीमित समय होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः वसूली दर निम्नतर होती है । केन्द्रीयकृत सूचीकरण और नीलामी प्लेटफार्म, जहां कारपोरेट ऋणी की सभी समापनाधीन आस्तियों के ब्यौरे जनता को निरंतर उपलब्ध होते रहते हैं, इन समस्याओं का एक प्रभावी समाधान प्रदान करता है ।

2. आई.बी.बी.आई. ने उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन(आई.बी.ए.) के साथ सहयोग किया है जिससे कि आस्तियों की नीलामी को eBKray प्लेटफार्म के माध्यम से सुकर बनाया जा सके जो इस समय पी.एस.बी. एलायंस प्राइवेट लिमिटेड(12 पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक संघ) के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन है । eBKray पिछले पांच वर्षों से उन आस्तियों के लिए नीलामियों का संचालन कर रहा है जो सरफेसी अधिनियम के अधीन पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास बंधक हैं ।

3. तदनुसार, पी.एस.बी. एलायंस ने आई.बी.सी. के अधीन आस्तियों के सूचीकरण और नीलामी को सुकर बनाने के लिए eBKray प्लेटफार्म के भीतर एक माड्यूल तैयार किया है । इस केन्द्रीयकृत प्लेटफार्म में कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत फोटोग्राफ, वीडियो और भौगोलिक निर्देशांक आते हैं । eBKray का उद्देश्य, उन्नत तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि करके बोलीकर्ताओं की भागीदारी में वृद्धि करना, प्रचालनों को सुव्यवस्थित करना और बोलीकर्ताओं के लिए परिणामों में सुधार करते समय लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली करना है ।

4. यह समापन मामलों में विक्रीत की जाने वाली सभी आस्तियों को होस्ट करने का एकल सूचीकरण प्लेटफार्म होगा । यह प्लेटफार्म परिसमापकों से यह अपेक्षा करेगा कि वे आस्ति ज्ञापन में यथा-उल्लिखित कारपोरेट ऋणी की समस्त आस्तियों को सूचीबद्ध करें, जिसके अंतर्गत व्यापक ब्यौरे, जैसे कुर्की या धारणाधिकार की प्रास्थिति, भौगोलिक निर्देशांक और नीलामी की संभावित तारीख भी है । जी.सी.एस. के लिए, संपूर्ण सी.डी. को इस प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा ।

5. आरंभ में, इस प्लेटफार्म को प्रायोगिक पद्धति पर लागू करने की परिकल्पना की गई और इसमें उपयोग के अनुभवों के आधार पर सुधार किया जाएगा । इस प्लेटफार्म का पूर्णरूपेण प्रारंभ इसके पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा । दिवाला व्यावसायिक आई.बी.बी.आई. के प्लेटफार्म पर अपने लॉगिन ब्यौरों का प्रयोग करके इस प्लेटफार्म तक पहुंच बना सकते हैं । भावी क्रेताओं द्वारा इस प्लेटफार्म तक https://ebkray.in के द्वारा पहुंचा जा सकेगा और एफ.ए.क्यू. और इस प्लेटफार्म का प्रयोग करने की मार्गदर्शिका https://ibbi.gov.in/en/home/psb-alliance पर दी गई है ।

6. समापन प्रक्रियाओं पर कार्यवाही करने वाले दिवाला व्यावसायिकों को निदेश दिया जाता है कि वेः

(क) चालू समापन प्रक्रियाओं की बाबत सभी अविक्रीत आस्तियों के ब्यौरों को eBKray प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध करेंगे; और

(ख) इस परिपत्र के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली समापन प्रक्रियाओं की बाबत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आस्ति ज्ञापन प्रस्तुत करने के सात दिन के भीतर सभी आस्तियों को सूचीबद्ध करेंगे: और

(ग) सभी चालू मामलों की बाबत इस परिपत्र के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् आस्तियों के विक्रय के लिए eBKray नीलामी प्लेटफार्म का प्रयोग कर सकेंगे ।

7. यह परिपत्र 1 नवम्बर, 2024 को प्रभावी होगा ।

8. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महाप्रबंधक